न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या—158 / 2014—15

श्री देवी प्रसाद त्यागी पुत्र स्व0 श्री ब्रहम स्वरूप त्यागी, निवासी—198 चाव मण्डल, रूड़की, जिला हरिद्वार

—बनाम—

श्रीमती मनीषा त्यागी पत्नी स्व0 श्री विनोद कुमार त्यागी, निवासी मकान नं0 ए—27 / 16 सुभाष नगर शफीपुर, रूड़की, जिला हरिद्वार एवं अन्य

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।

अधिवक्तागण प्रतिउत्तरदाता : श्री पी0के0 गर्ग।

बावत

मौजा शिमलौनी, परगना मंगलौर,
तहसील रूड़की, जनपद हरिद्वार।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने कलक्टर, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या—06 / 2015(11 / 2014—15) विनोद कुमार त्यागी बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 30—04—2015 के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :—

श्री विनोद कुमार त्यागी पुत्र देवी प्रसाद त्यागी निवासी मकान नम्बर—105(2) नेहरू नगर, कस्बा रूड़की, परगना व तहसील रूड़की, जनपद हरिद्वार ने खाता संख्या—45 खसरा नम्बर 161क रकबई 2.721है0 मौजा शिमलौनी, परगना मंगलौर, तहसील रूड़की के बावत एक घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा—229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का यह कहते हुए सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी, रूड़की के न्यायालय में दायर किया कि, वादग्रस्त कृषि भूमि के मालिक ब्रहमस्वरूप त्यागी थे तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त भूमि पर बतौर विरासत देवी प्रसाद त्यागी का नाम दर्ज हो गया था, यह कि भू—अधिनियम 1951 लागू होने से पूर्व वादी का जन्म हो चुका था तथा उस समय वादी के दादा ब्रहमस्वरूप जीवित चले आते थे, कानूनन दादा की मृत्यु के उपरान्त बतौर वारिस वादी का नाम भी वादग्रस्त कृषि भूमि पर सहखातेदार के रूप में देवी प्रसाद के साथ दर्ज होना चाहिए था। उक्त भूमि पर विरासत गलत दर्ज हो गई है, अतः खाता संख्या—45 के खसरा नम्बर—161क रकबई 2.721 है0 पर वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में अंशानुसार दर्ज किया जाय।

उक्त वाद को विधिवत सुनवाई के उपरान्त विद्वान सहायक कलेक्टर, रूड़की ने गुणदोष के आधार पर दिनांक 21—09—2011 को अस्वीकार किया। आदेश दिनांक

21–09–2011 के विरूद्व वादी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24–02–2012 आदेश 47 नियम–01 सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के साथ वाद बिन्दु संख्या–1 के पुनः निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया। विद्वान सहायक कलेक्टर, रूड़की ने आदेश दिनांक 21–09–2011 को वापस लेते हुए पुनः निर्मित किये गये 07 वाद बिन्दुओं को गुणदोष के आधार पर निर्णीत करते हुए आदेश दिनांक 09–08–2012 से वादी का वाद सव्यय निरस्त/डिकी किया गया। आदेश दिनांक 09–08–2012 के विरूद्व वादी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04–12–2014 को कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत कर मूल वाद संख्या–01/2008–09 को पुनः स्थापित कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने की प्रार्थना की गई जिसकी पोषणीयता पर सुनवाई हेतु दिनांक 05–01–2015 की तिथि नियत की गई तत्पश्चात 19–01–2015 व 05–02–2015 की तिथि नियत की गई। दिनांक 05–02–2015 को प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण कलक्टर, हरिद्वार द्वारा निरस्त किया गया। इसी मध्य विनोद कुमार त्यागी के प्रार्थना पत्र दिनांक 05–02–2015 पर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी हरिद्वार स्थान रूड़की से कलेक्टर द्वारा जाँच आख्या प्राप्त करने हेतु पत्र दिनांक 28–02–2015 भेजा गया जिसपर दिनांक 16–03–2015 को जांच आख्या कलेक्टर, हरिद्वार को बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा भेजी गई एवं पत्रावली पुनः 23–03–2015, 06–04–2015 की तिथि सुनवाई हेतु नियत करते हुए दिनांक 30–04–2015 को यह आदेश पारित करते हुए कि प्रश्नगत सम्पत्ति खसरा नम्बर–161ख रकबई 2.721 है0 स्थित ग्राम सिमलौनी पर देवी प्रसाद त्यागी पुत्र ब्रहमस्वरूप निवासी मंगलौर के साथ श्री विनोद त्यागी पुत्र देवी प्रसाद त्यागी का नाम सहखातेदार में दर्ज किया जाता है तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जाय। इसी आदेश के विरूद्व वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने एवं अवर न्यायालय की पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता/प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन था कि वादग्रस्त भूमि विकय पत्र से कय की गई थी जो ब्रहमस्वरूप की पुश्तैनी भूमि नहीं थी। ब्रहमस्वरूप के स्वर्गवास होने पर उनकी कृषि भूमि उनके दो पुत्र गंगा प्रसाद त्यागी व देवी प्रसाद त्यागी को प्राप्त हुई जिनका नाम विरासत के आधार पर राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित हुआ। गंगा प्रसाद त्यागी व देवी प्रसाद त्यागी के मध्य विरासत के आधार पर कुछ कृषि भूमि का बंटवारा सक्षम न्यायालय सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, सहारनपुर के यहां से निर्णीत हुआ तथा पृथक–पृथक कुर्रे निर्मित होकर दोनों को उनके कुर्रे की भूमि पर वैधानिक कब्जा दखल न्यायालय के माध्यम से प्राप्त हुआ। देवी प्रसाद त्यागी द्वारा अपने हिस्से की भूमि विभिन्न विकय पत्रों के माध्यम से विकय कर दी गई है जिसके आधार पर केतागणों का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गया है। यह कि उपरोक्त समस्त तथ्यों को छुपाकर देवी प्रसाद त्यागी ने घोषणात्मक वाद योजित किया है जिसे गुणदोष के आधार पर दिनांक 21–09–2011 एवं दिनांक 09–08–2012 से अन्तिम आदेश पारित कर निरस्त किया जा चुका है। यह कि धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 21–09–2011 व 09–08–2012 से विनोद कुमार त्यागी का मूल वाद गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है जिसके विरूद्व कोई अपील अथवा निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है, यह कि कलेक्टर हरिद्वार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रश्नगत आक्षेपित आदेश विविध कार्यवाही के अन्तर्गत पारित किया गया है जो कि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में दिये गये प्राविधानों एवं उक्त अधिनियम के परिशिष्ट–2 में किये गये प्राविधान के विपरीत है, अतः आक्षेपित आदेश दिनांक 30–04–2015 निरस्त किया जाय।

प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि वादी का जन्म जमींदारी विनाश अधिनियम–1951 के लागू होने से पूर्व दिनांक 01–04–1950 को हो चुका था। अतः उनके दादा की मृत्यु के उपरान्त उनका नाम भी विधिनुसार विवादित भूमि पर सहखातेदार के रूप में दर्ज होना चाहिए था। विद्वान कलेक्टर द्वारा इसी आधार पर उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं जो सही हैं। वादग्रस्त सम्पतित दादालाई विरासत कृषि भूमि बाग है जिसपर चकबन्दी के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। वादी का जन्म जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने से पूर्व हुआ था जिसके आधार पर वह सहखातेदार के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए।

मैंने मूल पत्रावली का अवलोकन किया। वादी का घोषणात्मक वाद विद्वान सहायक कलेक्टर, रूड़की ने वाद बिन्दु निर्धारित करते हुए उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर गुणदोष के आधार पर दिनांक 21–09–2011 एवं 09–08–2012 को निर्णीत कर निरस्त कर दिया गया और आदेश दिनांक 21–09–2011 व 09–08–2012 के विरूद्व कोई अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई और न ही इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध है। कलेक्टर हरिद्वार के समक्ष पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 04–12–2014 भी आदेश दिनांक 05–02–2015 से निरस्त कर दिया गया तथा पुनः बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी की आख्या पर वाद सुनवाई हेतु नियत करते हुए धारा–विविध के अन्तर्गत सरसरी तौर पर वादी का नाम सहखातेदार के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। उल्लेखनीय है कि जब धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूड़की द्वारा वाद अन्तिम रूप से निस्तारित/निर्णीत किया जा चुका था जो विद्वान कलेक्टर, हरिद्वार द्वारा विविध कार्यवाही के अन्तर्गत वादी का नाम सहखातेदार के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाना विधिक रूप से त्रुटियुक्त है और अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना उचित है कि विद्वान सहायक कलेक्टर, रूड़की द्वारा घोषणात्मक वाद को पूर्व ही गुणदोष के आधार पर वाद बिन्दु सृजित करते हुए निरस्त किया जा चुका था और और एक सरसरी कार्यवाही के अन्तर्गत वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाना भी न्यायोचित नहीं है जिससे निगरानीकर्ता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत योजित वादों से ही पक्षों का स्वत्व निर्धारण/अधिकारों का विनिश्चियन होता है और सरसरी कार्यवाही से स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की अनुसूची–2 में भी दी गई व्यवस्था के अनुसार धारा–229बी के अन्तर्गत योजित वाद में पारित आदेश के विरूद्व प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त तथा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व परिषद को प्राप्त है न कि कलेक्टर को।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी स्वीकार किए जाने एवं विद्वान कलेक्टर, हरिद्वार का आक्षेपित आदेश 30–04–2015 निरस्त होने योग्य है।

आदेश

बलयुक्त होने के कारण निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलक्टर, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–06/2015(11/2014–15) अन्तर्गत धारा–विविध विनोद कुमार त्यागी बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 30–04–2015 निरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व

अभिलेखों में अंकन किया जाय। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 05\04\16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।